संख्या-11/2018/यू0ओ0-201 /एक-1-2018-रा0-1

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 07 दिसम्बर, 2018

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-59 की उपधारा-4(ग) के अधीन पुनर्ग्रहीत भूमि के मूल्य में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-03/06/2016 द्वारा ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमियों के पुनर्ग्रहण हेतु सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4(1)ग में व्यवस्था है कि राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि नि:शुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वाषिक किराया प्राप्त किया जायेगा। इसी प्रकार अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-03/06/2016 द्वारा पुनर्ग्रहण की शक्ति वस्तु या वस्तुएं जिनका मूल्य 40 लाख रूपये से अधिक न हों, कलेक्टर को तथा वस्तु या वस्तुएं जिनका मूल्य 40 लाख रूपये से अधिक हों, मण्डलायुक्त को प्रतिनिहित की गयी है।

2. ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय प्राधिकारियों में निहित, सीलिंग में प्राप्त भूमियों के आवंटन के बदले मूल्य लिये जाने के संबंध में उपरोक्त शासनादेश दिनांक-03/06/2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) व उक्त अधिसूचना दिनांक-03/06/2016 में वर्णित व्यवस्था में सम्यक विचारोपरान्त आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु ग्राम सभा भूमियों का पुनर्ग्रहण नि:शुल्क किया जायेगा।

तदनुसार पूर्व में निर्गत एतद् विषयक राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-03/06/2016 प्रस्तर-4(1)(ग) तथा अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-03/06/2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश के शेष अन्य प्राविधान यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

**<u>प्रतिलिपि संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी।
8. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
9. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

shasanadesh.up.nic.in